

समक्ष
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
गणपूर्ति

श्री वी०जे० तालवाड़ अध्यक्ष

श्री आनंद कुमार सदस्य

आदेश दिनांक : 29-12-2009

आदेश

29 दिसम्बर, 2009 ई०

पत्रांक 1837 / उ०वि०नि०आ० / 09-10-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा इस निमित्त समर्थकारी प्राविधानों के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्न विनियमों को इनकी वर्तमान अवधि से 30-06-2010 तक के लिए विस्तारित करता है, यदि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन या विस्तार नहीं किया जाता :-

क्र०सं०	विनियम का नाम
1.	उविनिआ (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004
2.	उविनिआ (वितरण दर अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004
3.	उविनिआ (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004

ह०/-

आनंद कुमार,
सदस्य

ह०/-

वी० जे० तालवाड़,
अध्यक्ष